

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 11 जनवरी 2016—पौष 21, शक 1937

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2016

क्र. एफ-3-8-2011-1-10.—मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 8 सन् 2012) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, प्ररूप-एक में, पैरा 3 में, शब्द "अपराधी" के स्थान पर शब्द "अभियुक्त" स्थापित किया जाए,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2016

क्र. एफ-3-8-2011-1-10.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, उक्त अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

Bhopal, the 11th January 2016

No. F 3-8-2011-1-10.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 24 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhiniyam, 2011 (No. 8 of 2012), the State Government hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Niyam, 2012 namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in Form-I, in paragraph 3, for the word "offender", the word "accused" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
K. K. KATIYA, Addl. Secy.